कार्यालय, सामाजिक न्याय विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला सीहोर (म0प्र0)

नवीन जिला पंचायत भवन, प्रथमतल

दूरभाष कं.– 07562–227039, E-mail – pswseh@mp.nic.in

क्रमांक /1291 / स्थापना / 2023 सीहोर दिनांक 28 / 08 / 2023

प्रति,

आयुक्त,
जनसम्पर्क म0प्र0 भोपाल
(विज्ञापन शाखा)

विषय :– जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र सीहोर मे रिक्त पदों की पूर्ति विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

––0––

विषयान्तर्गत जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र सीहोर मे रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदवार विज्ञापन तैयार किया गया हैं।

उपरोक्त विज्ञापन पत्र के संलग्न आपकी ओर प्रेषित किया जाकर अनुरोध है कि शासन नियमानुसार उक्त विज्ञापन राज्य स्तरीय /स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला सीहोर

पृ.क्रमांक /1292/ स्थापना / 2023 सीहोर दिनांक 28 / 08 / 2023

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव ,सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2– आयुक्त , सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3– कलेक्टर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
4– मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत सीहोर की ओर सूचनार्थ।
5– जिला रोजगार अधिकारी ,जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
6– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी ,जिला सीहोर की ओर एक प्रति NIC सीहोर के पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला सीहोर

कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला सीहोर (म.प्र.)
नवीन जिला पंचायत भवन प्रथम तल

दूरभाष क्र. 07562-227039 ,E-mail id-Pswseh@mp.nic.in

क्रमांक /1293/स्थापना/2023 सीहोर दिनांक 28/08/2023

//विज्ञापन//

दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केन्द्र सीहोर के संचालन हेतु मानदेय के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 13/09/2023 सायं 05.30 तक आमंत्रित किये जाते हैं। पद की योग्यताए,शर्ते एवं मानदेय नीचे दर्शाये अनुसार हैः-

क्र	पदनाम	पद का मानदेय प्रतिमाह	पदो की संख्या	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
1	क्लीनिकल मनोचिकित्सक /पुनर्वास मनोचिकित्क	20500	01	क्लीनिकल मनोचिकित्सक क-क्लीनिकल मनोचिकित्सा में एम.फिल ख-क्लीनिकल मनोचिकित्सा में व्यावसायिक डिप्लोमा पुनर्वास मनोचिकित्सक क-पुनर्वास मनोचिकित्सा में एम.फिल ख-पुनर्वास मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोंमा (पीजीडीआरपी)
2	सीनियर प्रोस्थेटिस्ट/ऑर्थोटिस्ट (ओएच श्रेणी)	20500	1	आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (बीपीओ) में स्नातक
3	श्रवण सहायक/जुनियर स्पीच थेरेपिस्ट / स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन फ / ईयरमोल्ड तकनीशियन	16000	1	श्रवण यंत्रों की जानकारी /मरम्मत/कर्ण मोल्ड बनाने के साथ साक् एवं श्रवण में डिप्लोमा पात्रता हियरिंग लैंग्वेज और स्पीच में डिप्लोमा (डीएचएलएस) पात्रता हियरिंग एयड रिपेयर और ईयर मोल्ड प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डीएचएआरएमटी)
4	मोबिलिटि इन्ट्रक्टर	14500	1	दसवी गतिशीलता मे सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पात्रताः अधिमानत गतिशीलता विज्ञान में स्नातक (बी.एम.एस.सी) या दृष्टि बाधिता में डी.एड.विशेष शिक्षा /बी.एड विशेष शिक्षा
5	मल्टीपरपज रिहेब्लीटेशन वर्कर	14500	1	बहु उद्देश्यीय पुनर्वास कार्यकर्ता पात्रता समुदाय आधारित पुनर्वास (पीजीडीसीबीआर) मे पोस्ट ग्रेजुएट/समुदाय आधारित पुनर्वास (डीसीबीआर)/समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)/एमआरडब्ल्यू में डिप्लोमा
6	वेकेशनल काउंसलर कम कम्प्यूटर आपरेटर	14500	1	व्यावसायिक पुनर्वास में डिप्लोमा (डीवीआर)/बाल मार्गदर्शन और परामर्श में एडवांस्ड डिप्लोमा (एडीसीजीसी)/पुनर्वास विज्ञान में स्नातक (बीआरएससी)

निरंतर ....

नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्ते :-

1- उपरोक्त सभी 08 पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होगें।

2- प्राथमिता के आधार पर स्थानीय संधाधनों के माध्यम से जहांतक सम्भव हैं, कार्यान्वियन ऐजेंसी/डीएमटी द्वारा मानदेय/संविदागत आधार पर स्टाफ को नियुक्त किया जाना हैं :-

i मानदेय आधार पर कार्यरत सरकारी /जिला अस्पतालों के मौदूजा पेशेवर ।

ii टोकन मानदेय के भुगतान पर कार्यरत सरकारी /जिला अस्पतालों के मौदूजा पेशेवर ।

iii पूर्णतया संविदात्मक आधार पर कार्यरत पेशेवर और अन्य ।

3– सभी पद शासन द्वारा निश्चित मानदेय पर स्वीकृत हुए हैं। उक्त पद पर चयनित उम्मीदवार का भविष्य में नियमितिकरण किये जाने हेतु कोई भी दावा/वाद विवाद स्वीकार एवं मान्य योग्य नही होगा।

4– नियुक्ति पूर्णतः संविदा पर एक वर्ष के लिए रहेगी। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व नोटिस पर किसी भी समय सेवाए समाप्त की जा सकती हैं। एक वर्ष के पश्चात सेवाए संतोषप्रद पाए जाने पर पुनः सेवा में वृद्वि की जा सकेगी।

5– चयनित उम्मीदवार का नियुक्ति के पूर्व पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन एवं मेडिकल करवाया जावेगा।अनकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा।

6– उम्मीदवार का चयन मेरिट/काउन्सलिंग/साक्षात्कार जैसी भी स्थिति होगी,नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा तय की जावेगी। जिसके संबंध मे कोई वाद–विवाद मान्य नही किया जावेगा।

7– निर्धारित योग्यता से कम योग्यता ,आवेदन की शर्ते पूर्ण नही करने अथवा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। जिसके संबंध मे प्रथक से कोई सूचना नही दी जावेगी।

8– आयु न्यूनतम एवं अधिकतम शासन नियमानुसार पात्र उम्मीदवार को आयु शिथिलता की पात्रता होगी।

9– आवेदक को पात्र पाये जाने पर आवश्यकतानुसार साक्षात्कार/काउन्सलिंग की सूचना उनके आवेदन पत्र में दर्शाये गये वर्तमान पत्र व्यवहार के पते पर दी जावेगी।

10– आवेदक को आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पदनाम का उल्लेख अवश्य करें।

11– न्यूनतम एवं अधितम आयु की गणना रिक्त पदों के विज्ञप्ति होने के कलेण्डर वर्ष 01 जनवरी 2023 के सन्दर्भ में की जावेगी।

12– विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला सीहोर का ही मान्य होगा।

13– यदि कोई अभ्यार्थी विज्ञापित पदों में से एक से अधिक पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हैं तो वह ऐसे पद के लिये प्रथक–प्रथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होगें। एक आवेदन पत्र पर एक ही पद के लिये स्वीकार होगा।

14– जो आवेदक पूर्व से नियोजित हैं उन्हे आवेदन पत्र के साथ अपने नियोजन का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

15– आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए सभी प्रमाण पत्रों /अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक हैं।

16– उक्त पदों में चयनित प्रतिभागीयों (तकनीकि) अनुक्रमांक 01 से 08 तक को जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 को भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) मे पंजीबद्व होना आवश्यक हैं।

17– योग्य पुनर्वास पेशेवर कुछ समय के लिए उपलब्ध नही होने पर डीएमटी कम योग्यता वाले व्यक्तियों की भर्ती कर सकती हैं, जब कि कि ऐसे पेशेवर उपलब्ध न हो जाए।तथापि ,तकनीकी श्रमशक्ति के स्थान पर गैर–तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति नही की जावेगी।

18– अंतिम तिथि 13/09/2023 सायं 5.30 बजे के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जावेगा।

19– आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जिला सीहोर म.प्र ,नवीन जिला पंचायत भवन ,प्रथम तल (पिन न.)के पते पर सीधे जमा किए जा सकते हैं अथवा डॉक द्वारा प्रेषित किए जा सकते हैं।

उप संचालक
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
जिला सीहोर